न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 204 / 2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. नरपतराम पुत्र स्व0 गंगाराम 2. प्रकाश पुत्र स्व0 गंगाराम 3. सीता पुत्री स्व0 गंगाराम 4. कंचन पुत्री स्व0 गंगाराम 5. जसोदा पुत्री स्व0 गंगाराम जातियान सुथार निवासीगण ग्राम बोयल तहसील पीपाड शहर जोधपुर। 6. रामरख पुत्र स्व0 किशनाराम 7. घेवरराम पुत्र स्व0 किशनाराम 8. भागीरथ पुत्र स्व0 किशनाराम जातियान सुथार निवासीगण ग्राम बोयल तहसील पीपाड शहर जोधपुर।		1 भंवरीदेवी पुत्री स्व0 मांगीलाल पत्नी ढगलाराम जातियान सुथार निवासीगण ग्राम बोयल हाल ग्राम साथीन, तहसील पीपाड शहर जोधपुर। 2. रामप्रसाद पुत्र स्व0 किशनाराम जातियान सुथार निवासीगण ग्राम बोयल तहसील पीपाड शहर जोधपुर। 3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड शहर 4. ग्राम पंचायत,बोयल जरिये सरपंच

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.04.2018 जो राजस्व अपील संख्या 06 / 2015 अनवान भंवरीदेवी बनाम नरपतराम वगेराह में उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर के द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः—

1— श्री जगदीश प्रजापत, भंवरलाल चोधरी, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2— श्री जस्साराम चवेल, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3— श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो संख्या 3 की ओर से।
4— रेस्पो0 संख्या 2, 3 बावजूद नोटिस तामीली सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 03 फरवरी, 2023

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपाडशहर के समक्ष धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रथम अपील नामा0 संख्या 2195 के विरूद्ध पेश की कि रेस्पो0 के पिता मांगीलाल की खातेदारी भूमि का नामा0 रेस्पो0 के पक्ष में दर्ज नहीं किया जबकि वह एकमात्र वारिसान है, लेकिन मांगीलाल को लाऔलाद फौत बताकर प्रेमीदेवी के नामा0 940 पारित कर दिया। प्रेमीदेवी के फौत होने नामा0 संख्या 2195 अपीलान्टस के पक्ष में भर दिया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.4.18 को पारित कर नामा0 संख्या 2195 को निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नामा0 संख्या 2195 दिनांक 22.11.2014 के विरूद्ध प्रथम राजस्व अपील दिनांक 26.8.2015 को पेश की गई ... जाने के उपरान्त म्याद बाहर पेश

की गई थी जिस देरी को कन्डोन किये जाने हेतु कोई संतोषजनक कारण नहीं दर्शाया, अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा भी रेस्पो0 संख्या एक की प्रस्तुत प्रथम अपील को अन्दर म्याद शुमार कर लिया गया जो न्यायोचित नहीं था। इसके अतिरिक्त मांगीलाल के देहान्त उपरान्त प्रेमीदेवी के नाम जो नामा0 संख्या 940 की जानकारी रेस्पो0 संख्या 1 को प्रारम्भ से ही थी। नामा0 संख्या 940 स्वीकृत होने की जानकारी उन्हें पूर्व से ही थी उसके बावजूद 25 वर्ष उपरान्त एतराज करने और नामा0 संख्या 2195 के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं था। अपीलाधीन नामा0 संख्या 2195 अपीलान्ट की माता प्रेमीदेवी के फौत होने पर ग्राम पंचायत के द्वारा भरा गया और नामा0 की पुश्त पर सजरा खानदान दर्शाया गया। नामा0 स्वीकृत करने में ग्राम पंचायत के द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की और अपीलान्टगण प्रेमीदेवी के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के कारण पूर्ण जॉच करके स्वीकृत किया था। इससे पूर्व खातेदार मांगीलाल के फौत होने पर नामा0 संख्या 940 स्वीकृत हुआ था जिसे निरस्त करवाये बिना नामा0 संख्या 2195 को निरस्त नहीं किया जा सकता है। रेस्पो0 संख्या एक भंवरीदेवी अपने ससुराल रहती है जिनका कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। नामा0 अपील एक फिस्कल प्रोसिडिंग है जिससे किसी का हक व अधिकार तय नहीं हो सकता है। अधिनस्थ न्यायलय के समक्ष एक नियमित राजस्व वाद भी लम्बित है। रेस्पो0 संख्या एक को अपना हक–हिस्सा राजस्व वाद के जरिये ही हासिल करने की कार्यवाही करनी चाहिये थी। इन सब तथ्यों पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना कोई गौर किये प्रथम अपील का निस्तारण करते हुए रेस्पो0 संख्या एक की प्रथम अपील को स्वीकार करने एवं नामा0 संख्या 2195 दिनांक 22.11.2014 को निरस्त करने में क़ानूनी भूल की है अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.4.2018 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन वर्णित भूमि पूर्व में रेस्पो0 के पिता यानि मूल खातेदार मांगीलाल के नाम खातेदारी में दर्ज थी। रेस्पो0 संख्या एक खातेदार मांगीलाल की एकमात्र जाईन्दा पुत्री है। खातेदार मांगीलाल का देहान्त होने पर मांगीलाल को लाऔलाद बताकर फौतेदगी नामा0 संख्या 940 दिनांक 21.5.1992 को उनकी दादी श्रीमती प्रेमीदेवी के नाम दर्ज किया गया। प्रेमीदेवी पत्नी किशनाराम का देहान्त होने के उपरान्त फौतेदगी नामा0 संख्या 2195 दिनांक 22.11.2014 को ग्राम पंचायत के द्वारा अपीलान्टगण एवं रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया जबकि रेस्पो0 संख्या एक भी स्व0 मांगीलाल की प्रथम श्रेणी की वारिसान थीं। उक्त नामा0 स्वीकृत करने से पूर्व मांगीलाल के विधिक उत्तराधिकारियान की कोई जॉच नहीं की गई। उक्त अपीलाधीन नामा0 की जानकारी रेस्पो0 सं. एक को दिनांक 20.7.2015 को तब हुई जब अपीलान्टस उनके खेत में आये एवं भूमि उनकी खातेदारी की होने का बताया तब दिनांक 4.8.2015 को नकल प्राप्त करते हुए अपील प्रस्तुत की गई थी जिसें अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अन्दर म्याद शुमार करते हुए नामा0 संख्या 2195 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार पीपाड शहर को रिमाण्ड कर नियमानुसार नये सिरे से खातेदार मांगीलाल के उत्तराधिकारियों की सम्पूर्ण जॉच कर हक व हिस्से का आदेश पारित कर नामा0 की कार्यवाही किये जाने व हक व हिस्से में

विधिक वारिसान के नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार इन्द्राज करने के आदेश दिये गये है जो पूर्ण रूप से विधि अनुकूल व उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 2195 दिनांक 22.11.2014 को स्वीकृत करने से पूर्व रेस्पो0 संख्या एक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने व सुनवाई का कोई अवसर ग्राम पंचायत के द्वारा प्रदान नहीं किया गया। बिना सूचना व सुनवाई के नामा0 स्वीकृत किया गया था जो विधि विपरित होने से निरस्त करने योग्य था। इसके अतिरिक्त पूर्व खातेदार मांगीलाल के देहान्त हो जाने के उपरान्त मांगीलाल को लाऔलाद फौत बताकर रेस्पो0 संख्या एक की दादी श्रीमती प्रेमीदेवी के नाम स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 940 दिनांक 21.05.1992 जो तहसीलदार, बिलाडा के द्वारा स्वीकृत किया गया था उसके विरूद्ध प्रथम राजस्व अपील अपर जिला कलेक्टर जोधपुर संख्या 3 के न्यायालय में विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक मृतक खातेदार मांगीलाल की प्रथम श्रेणी की वारिसान है जिसे अपने पिता की खातेदारी भूमि में हक–अधिकार जन्म से ही धारित हो जाते है ऐसे में उन्हें हक–अधिकार तय करवाने हेतु अलग से कार्यवाही करने की कोई आवश्यक नहीं रहती है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वो विधि अनुकूल उचित होने से यथावत बहाल रखा जावे एवं अपीलान्टस की अपील को अस्वीकार किया जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय इत्यादि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 2195 दिनांक 22.11.2014 की पुश्त पर अंकित सजरा खानदान में पेमी पत्नी किशनाराम के वारिसान क्रमशः गंगाराम, रामरख, घेवरराम, मांगीलाल, रामप्रसाद अंकित है, साथ ही मृतक खातेदार के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानानुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान का नामान्तरकरण भरा जाना है, चूंकि मांगीलाल भी किशनाराम व पेमी का प्रथम श्रेणी का वारिस है एतएव मांगीलाल के वारिसान की जॉच व तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप है। उक्त विवेचन के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के पारित निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपाडशहर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.04.2018 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 03 फरवरी, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर